कार्यालय : अंचल अधिकारी, बालूमाथ।

कार्यालय : अंचल अधिकारी, बालूमाथ।

आदेश पत्रक

...त पत्रक – ता० राजेन्द्र प्रसाद वगैरह बनाम से दिलीप साहु तक

...ना – बालूमाथ जिला– लातेहार   वाद संख्या– 44/2021–22

...का प्रकार – विविध वाद

आदेश की क्र०सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
28.10.21	आवेदक राजेन्द्र प्रसाद, योगेन्द्र साव, त्रिवेणी साव, राजेश कुमार साव, ईश्वर साव, चन्द्रिका साव सभी ग्राम- नगड़ा थाना- बालूमाथ द्वारा आवेदन दिया गया है कि मौजा नगड़ा के CS खाता नं. 06 प्लॉट नं. 81 रकबा 1.04 एकड़ जिसका RS खाता नं. 01, प्लॉट नं. 279 रकबा 98 डिसमील बना है। हमारे दखल कब्जा में है। उक्त भूमी में दिलीप साहु पिता रामवृक्ष साहु ग्राम- नगड़ा थाना- बालूमाथ के द्वारा अवैध तरीके से 55 डिसमील का लगान रसीद निर्गत करवा लिया है। जिससे विवाद उत्पन्न हो गया है। न्याय हेतु आवेदन के आलोक में वाद की कार्रवाई प्रारंभ की जाती है। उभय पक्ष को नोटिस निर्गत करें। वाद की अगली तिथि को उभय पक्ष अपने अपने दावे के समर्थन में सभी कागजातों के साथ उपस्थित रहेंगे। वाद की अगली तिथि 13.11.21 को निर्धारित की जाती है। 28.10.21 अंचल अधिकारी बालूमाथ	

Compared by Examine

Comparing Clerk

Scanned with CamScanner

कार्यालय : अंचल अधिकारी, बालूमाथ।
आदेश पत्रक

आदेश पत्रक – ता० ———————— से ———————— तक

अंचल – बालूमाथ, जिला – लातेहार **विविध वाद सं०–44/2021–22** (13)

केस का प्रकार– राजेन्द्र प्रसाद वगैरह बनाम दिलीप यादव

आदेश की क्र०सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
5.8.23	अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्ष उपस्थित। उपरोक्त वाद मे आज आदेश की तिथि पूर्व से निर्धारित की गयी थी। उभय पक्ष को नोटिस तामिला करा दिया गया था। प्रथम पक्षकार राजेन्द्र प्रसाद व अन्य ग्राम नगड़ा के द्वारा आवेदन दिया गया है कि मौजा कसियाडीह के सी0एस0 खाता नं0-6 प्लॉट नं0-81 रकवा 1.04 एकड़ जिसका आर0एस0 खाता 01 प्लॉट नं0-279 रकवा 98 डी0 खतियान मे दर्ज है। ये सभी भूमि हमारे दखल कब्जा मे है। उक्त भूमि मे से 55 डी0 भूमि का लगान दिलीप यादव पिता रामवृक्ष यादव को अंचल से मिला है। उक्त जमीन का लगान रसीद मेरे पूर्वज के नाम से निर्गत की जाय। प्रथम पक्षकार के द्वारा साक्ष्य के रूप मे केवाला, ऑफलाईन लगान रसीद उपलब्ध कराया गया है। द्वितीय पक्षकार दिलीप यादव पिता रामवृक्ष यादव का कहना है कि उक्त भूमि को हमलोग सुकन यादव से वर्ष 1984 मे क्रय की गई थी। सुकन यादव के द्वारा उक्त भूमि को रूपन से प्राप्त किया गया था। तब से लेकर आज तक उक्त भूमि पर हमलोग का दखल कब्जा है। अनुमण्डल दण्डाधिकारी लातेहार के न्यायालय मे विविध वाद संख्या-36/2007 Cr.P.C. की धारा 144 का फैसला हमलोगों के पक्ष मे आया है। Session Judge Latehar के Revision No. 07 of 2007 मे आपसी सुलहनामा से हमलोगों के बीच भूमि का बंटवारा किया गया। तत्पश्चात् उक्त खाता मे हमारे हिस्से मे 55 डी0 भूमि प्राप्त हुआ। हमलोगो के पास केवाला, ऑफलाईन लगान रसीद, ऑनलाईन लगान रसीद प्राप्त है। वर्तमान मे उक्त भूमि पर हमलोग जोत-कोड़ कर रहे है। उक्त भूमि पर किसी को आपत्ति नही है। उभय पक्षकारों के द्वारा उपलब्ध कराये गये सभी साक्ष्यों एवं राजस्व दस्तावेजो का अध्ययन के पश्चात् निम्नलिखित निष्कर्ष पाये गये :- 1- ये भूमि मौजा कसियाडीह के सी0एस0 खाता 6 प्लॉट 81 रकबा 1.04 एकड़ से संबंधित है। जिसका आर0एस0 मे खाता संख्या-01 प्लॉट नं0-279 रकबा 98 डी0 पाया गया है।	

Compared by Examine
Comparing Clerk

Scanned with CamScanner

आदेश की क्र०सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर (14)	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	2- उक्त भूमि के खतियानी रैयत रूपन साव के द्वारा वर्ष 1941 में केवाला संख्या-349 के द्वारा सुकन महतो को लिखा गया एवं सुकन महतो के द्वारा वर्ष 1984 में केवाला संख्या 7212 के द्वारा रामवृक्ष महतो को भूमि बिक्री किया गया। 3- रामवृक्ष महतो पिता रघुनाथ महतो के द्वारा अंचल से दाखिल खारिज वाद संख्या-182/1999-2000 के द्वारा दाखिल खारिज कराने के पश्चात् लगान रसीद प्राप्त किया गया। वर्तमान मे सी0एस0 पंजी-II के हो0नं0-40 पर उनका डिमाण्ड कायम है। 4- रामवृक्ष महतो के द्वारा आर0एस0 खाता से पंजी-II अद्यतन कराते हुए लगान रसीद प्राप्त किया गया। 5- उभय पक्ष के द्वारा अनुमण्डल दण्डाधिकारी लातेहार के न्यायालय में धारा 144 के तहत वाद चला जिसमें अभिलेख संख्या-36/2007 के अन्तर्गत सुनवाई करते हुए दिलीप यादव पिता रामवृक्ष यादव के पक्ष मे आदेश पारित किया गया। 6- उभय पक्षकार के डुबन यादव के द्वारा अनुमण्डल दण्डाधिकारी के न्यायालय में दिये गये निर्णय के विरूद्ध Session Jedge Latehar में अपील किया गया जिसका नम्बर-07/2007 था। 7- उभय पक्षकारो के मध्य 15.09.2007 को आपसी समझौता किया गया कि 40 डी0 जमीन रामवृक्ष महतो के द्वारा महेश साव, कन्हाई साव वगैरह चारो भाई को लिखेंगे। 8- समझौते के अनुसार पूर्व मे 5+3=8 डी0 जमीन त्रिवेणी साव को बिक्री हो चुका है। शेष 55 डी0 जमीन जो बचता है वो रामवृक्ष महतो के दखल मे रहेगा। 9- समझौते मे ये भी तय किया गया कि ऑनलाईन मे रकबा कम पाया गया तो दोनों पक्ष भरपाई करेंगे।	

Compared
Examined
Comparing Clerk

आदेश की क्र०सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर (15)	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	अत: उपर्युक्त उपलब्ध कराये गये सभी बिन्दुओं, सभी साक्ष्यो का गंभीरता पूर्वक अवलोकन करने के पश्चात् मै इस नतीजे पर पहुंचता हूँ कि मौजा कसियाडीह के खाता 01 प्लॉट 279, रकवा 55 डी0 भूमि पर द्वितीय पक्षकार दिलीप यादव पिता रामवृक्ष यादव का अधिकार बनता है। चूँकि द्वितीय पक्षकार को उक्त भूमि प्रथम पक्षकार के गोतिया से प्राप्त हुआ है एवं इनके द्वारा दाखिल खारिज कराते हुए लगान रसीद प्राप्त किया गया। सुलहनामा के आधार पर इनको 55 डी0 भूमि प्राप्त होता है। इस सुलहनामा मे प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर है। अत: द्वितीय पक्षकार का उक्त 55 डी0 भूमि पर जोत-कोड़ करने का पूर्ण अधिकार है। इसमे प्रथम पक्षकार को कोई आपत्ति नही होगा। प्रथम पक्षकार मेरे आदेश के विरूद्ध सक्षम न्यायालय मे अपील दायर करने के लिए स्वतंत्र है। मेरे आदेश से संबंधित राजस्व कर्मी एवं थाना प्रभारी बालूमाथ को अवगत करायें। लेखापित एवं संशोधित 28/8/23 अंचल अधिकारी, बालूमाथ। 28/8/23 अंचल अधिकारी, बालूमाथ। Compared by Comparing Clerk	

Digitally signed by MD AFTAB ALAM
Date: 2023.09.21 16:58:32 +05:30
Location: 192.168.6.91

718/23

Scanned with CamScanner